आहरि / 8 पो.प.01

सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18 / 2008 द्वारा स्थापित)
email:- registrarsua@yahoo.in Phone:- 07774-222789, Fax:- 07774-222791

172

क्रमांक 2549 अकादमिक / 2015 अम्बिकापुर, दिनांक 25 / 06 / 2015

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 17.06.2015 के निर्णयानुसार सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर के शिक्षण विभागों एवं इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2015–16 से स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2009 में संसूचित "शैक्षणिक सुधारों" की योजना के अन्तर्गत् सेमेस्टर पद्धति, निरंतर मूल्यांकन, च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम तथा ग्रेडिंग एवं क्रेडिट पद्धति पर शिक्षा के कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इन "शैक्षणिक सुधारों" पर आधारित कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कला, समाज विज्ञान, विज्ञान, जीवन विज्ञान, वाणिज्य, विधि, गृह विज्ञान एवं नेचुरल रिसोर्सेस संकायों के सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को, जो शैक्षणिक सत्र 2015–16 से प्रारंभ होना है में लागू होंगे।

सभी प्राचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2015–16 से पूर्व में प्रभावी वार्षिक शिक्षा एवं परीक्षा पद्धति तथा तत्संबंधी पाठ्यक्रमों के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2015–16 से शिक्षा नहीं दी जावेगी एवं न ही वार्षिक पद्धति पर परीक्षा आयोजित की जावेगी। इस अधिसूचना का अनुपालन अनिवार्यतः हो।

स्नातकोत्तर स्तर के सभी नये पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

नोट – सभी स्नातकोत्तर शैक्षणिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों का सेमेस्टर अनुसार विवरण सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर की वेबसाइट के head 'academic' के sub head 'syllabus' में प्रदर्शित हैं।

आदेशानुसार
(आर.के. चौहान)
कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 2550 अकादमिक / 2015 अम्बिकापुर, दिनांक 25 / 06 / 2015

प्रतिलिपि :–

1 माननीय राज्यपाल महोदय एवं कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2 कुलपति के सचिव, माननीय कुलपति जी, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के सादर सूचनार्थ।
3 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक सी–30, द्वितीय एंव तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4 विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग / प्राचार्य समस्त संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5 अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ।
6 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (परीक्षा / गोपनीय / प्रशासन / भण्डार विभाग), सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7 कार्यालयीन नस्ती।

कुलसचिव

2-7/14 नो